कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड

निर्देशिका

बी0 एड0 – प्रवेश परीक्षा – 2014

ऑनलाइन आवेदन

बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश

1. **<u>प्रवेश प्रक्रियाः</u>** कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।

   1.1 बी0 एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 की अवधि 01 वर्ष होगी।

2. **<u>प्रवेश–परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रताः</u>**

   2.1. परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि एन0 सी0 टी0 ई0 **<u>के प्रवेश नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अन्तर्गत –</u>**
   सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को **न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 49.99 प्रतिशत अथवा इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।**

   2.2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थी को **न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 44.99 प्रतिशत अथवा इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।** उक्त अर्हता पूर्ण न किये जाने पर ऑन लाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

   2.3. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

   2.4. कोई भी प्रवेशार्थी 2012 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2013 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

3. **<u>प्रवेश–परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न–पत्र:</u>**

बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नानुसार होगा –

1.	**प्रथम प्रश्न पत्र**			भाषा परीक्षण (Language Test)
		अवधि	–	1:30 घन्टे
		अधिकतम अंक	–	100 अंक
		भाषा	–	हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा
		अनिवार्यता	–	सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य
2.	**द्वितीय प्रश्न पत्र**			सामान्य ज्ञान एवं तर्किकता परीक्षण (General Knowledge & Reasoning Test)
		अवधि	–	1:30 घन्टे
		अधिकतम अंक	–	100 अंक
		अनिवार्यता	–	सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य
3.	तृतीय प्रश्न पत्र – (भाग एक)			एप्टीट्यूट टेस्ट (Aptitude Test)
		अवधि	–	45 मिनट
		अधिकतम अंक	–	100 अंक
		अनिवार्यता	–	सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य
4.	तृतीय प्रश्न पत्र – (भाग दो)			वैकल्पिक प्रश्न पत्र (Optional Paper)
		अवधि	–	45 मिनट
		अधिकतम अंक	–	100 अंक
		अनिवार्यता	–	प्रत्येक परीक्षार्थी निम्न में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा।
			1.	विज्ञान वर्ग (Science Group)
			2.	कला वर्ग (Arts Group)
			3.	वाणिज्य वर्ग (Commerce Group)

4. **<u>प्रवेश में आरक्षण:</u>** वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत बी0 एड0 कक्षा में आरक्षण के नियम निम्नानुसार है –

4.1. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। सामान्य श्रेणी को छोड़कर शेष आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थी अपने जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति कुलसचिव कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भेजेंगे तथा अपना मूल प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करेगे। प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

4.2. आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है –

क –	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
	2. अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
	3. अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत

<u>**नोट:** केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।</u>

अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि (आवेदन तिथि के 12 माह के भीतर) का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

ख–	1. विकलांग (Handicapped)	03 प्रतिशत (1.5% नेत्रहीन 1.5% अन्य)
	2. महिला (Women)	30 प्रतिशत
	3. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) (Ex-Army)	02 प्रतिशत
	4.स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter)	02 प्रतिशत

4.3. आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाणकों को ही माना जाएगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाणपत्र की जांच के आधार पर संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा। सम्बन्धित प्रारूप इस विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं।

4.4. अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाणपत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

4.5. विकलांग प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। **चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक–बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।**

4.6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित प्रवेशार्थी जिला शिक्षा अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की प्रति विश्वविद्यालय को भेजेंगे एवं प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

4.7. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के पात्र प्रवेशार्थी संबंधित कमाडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही वांछित लाभ के पात्र होंगे।

5. **कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 में बी0 एड0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्या:** वर्तमान में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित/निजी स्वत्तिपोषित संस्थानों में बी0 एड0 कक्षायें संचालित की जा रही है। सीटों का विवरण प्रवेश काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

6. **अधिमान अंक –**

6.0 **निम्नांकित अधिमान केवल बी0 एड0 प्रवेश हेतु अनुमन्य हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।

6.1 **अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जायेगी।**

6.2 **अधिमान अंकों का विवरण निम्नानुसार है –**

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – **अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा -**

1. इन्डीविजुवल आईटम में

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	**15 अंक**
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	**10 अंक**
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	**05 अंक**

2. टीम आईटम में –

सर्वविजेता चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर	**15 अंक**
सर्व उप विजेता (रनर्स टीम) का सदस्य होने पर	**10 अंक**
प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	**05 अंक**

3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या खेलकूद प्रतियोगिता में –

सर्व विजेता/चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर	**10 अंक**
इण्डिविजुवल आईटम में प्रथम स्थान पाने पर	**10 अंक**

नोट – (1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत आईटम्स में से केवल एक ही आईटम का लाभ देय होगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आईटम में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/आईटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ख) 1. नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **15 अंक**

2. नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **10 अंक**

या

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को **15 अंक**

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को **10 अंक**

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को **05 अंक**

नोट – (1) एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर–प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र समन्वयक/प्राचार्य/परिसर समन्वयक (निदेशक) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए । दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

(3) एन0 एस0 एस0 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्रों पर कोई अधिमान देय नहीं होगा।

या

1. स्काउड एवं गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को **15 अंक**

2. स्काउड एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को **10 अंक**

3. स्काउड एवं गाइड्स में गुरुपद व ध्रुवपद प्राप्त प्रवेशार्थी को **05 अंक**

नोट– उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा ।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवा–निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों **15 अंक**

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0 ए0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 या एस0 एस0 बी0/ आई0 टी0 बी0 पी0/सी0 आर0 पी0 एफ0/होमगार्डस में सेवारत् हो या ऐसे कर्मचारी से पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों, जो कार्यरत् या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत् रहते हुए मृत हो गए हों **15 अंक**

नोट – (ग) के पात्र प्रवेशार्थी सम्बन्धित कमाडिंग आफीसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा (घ) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दानों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 15 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(ङ) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो **15 अंक**

नोट – विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं

प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(च) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को **15 अंक**

नोट – (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्वयं कार्यरत् या सेवानिवृत्त शिक्षक तथा उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी प्रवेशार्थी को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक तथा तकनीकी शिक्षा हेतु सहायक/उप/निदेशक द्वारा निर्गत/प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। **यदि किसी प्रवेशार्थी के माता–पिता दोनों तथा स्वयं भी इसी श्रेणी में हो तो उन्हें केवल 15 अंकों का ही अधिमान देय होगा।** इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत् शिक्षक जिनकी अनवरत् न्यनूतम सेवा 12 माह से कम न हो तथा वर्तमान में कार्यरत् हों को भी काउन्सलिंग एवं प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को कुलसचिव/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी के माता–पिता तथा स्वयं भी दोनों ही इसी श्रेणी में हों तो केवल 15 अंकों का ही अधिभार देय होगा।

(ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य तथा निजी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य से निर्गत तथा कुलसचिव से प्रतिहस्ताक्षरित निर्गत मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि किसी के माता–पिता दोनों या स्वयं भी इस श्रेणी में हों तो उन्हें केवल 15 अंकों का अधिभार देय होगा।

6.3 अधिमान प्राप्तांकों हेतु केवल संलग्न प्रारूप पर प्राप्त प्रमाणयकों को माना जायेगा। पृथक से भाषावद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी एवं अधिमान हेतु देय अंकों का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

अन्य किसी रूप का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाण पत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

7. **<u>प्रवेश–परीक्षा शुल्क</u>:** ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क **₹ 620 तथा बैंक शुल्क (₹ 620+बैंक शुल्क)** है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के आई–कलैक्ट के माध्यम से किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण संख्या प्राप्त

करने के उपरान्त उस संख्या को बैंक की वैबसाइट पर देना होगा। **छात्र को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजीकरण संख्या डालने में त्रुटि न करें, गलत पंजीकरण संख्या डालने की स्थिति में छात्र का शुल्क उनके नाम से मान्य नहीं होगा।** बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होगा। **आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

8. **प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदनः** सत्र 2014–15 की प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

9. **प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरनाः**

8.1. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को कुमाऊँ विश्वविद्यालय की बी0एड0 / एम0 एड0 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैब साइट www.kunainital.ac.in के होम पेज (home page) में ऑनलाइन जाना पड़ेगा।

8.2. होम पेज में आवेदन–पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं –

8.2.1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को पढ़ लें तथा अपनी अर्हता के बारे में सुनिश्चित हो जाएं। एक बार प्रवेश–परीक्षा शुल्क जमा हो जाने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।

8.2.2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र में अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पते को अवश्य भरें। इन दोनों को प्रवेश–प्रक्रिया सम्पादित होने तक चालू स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

8.2.3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूरा करना है तथा अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर वैबसाइट के सम्बन्धित बॉक्स में अपलोड करने हैं।

8.2.4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को submit करने से पूर्व सभी **प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें, क्योंकि submit किए जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता।**

8.2.5. ऑनलाइन आवेदन–पत्र submit करने तथा हस्ताक्षर व फोटोग्राफ अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट (printout) लेना है, जिसकी एक प्रति को उनके द्वारा भविष्य में पत्राचार हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र की द्वितीय प्रति को अपने शैक्षणिक तथा आरक्षण श्रेणी

सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को निर्धारित तिथि के भीतर भेजना अनिवार्य है।

8.3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps) निहित हैं–

पद – 1: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन।

पद – 2: उचित पाठ्यक्रम (बी0एड0/एम0एड0) का चयन, पंजीयन फार्म को भरना तथा वैबसाइट के होम पेज में फीस जमा करने हेतु इसका प्रिंट आउट लेना।

पद – 3: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए [Pay Fee] लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना।

पद – 4: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक [Application Form] में पंजीयन पत्र में उल्लिखित पंजीयन संख्या की सहायता से जाना तथा आवेदन–पत्र भरना।

पद – 5: पंजीयन संख्या का प्रयोग करते हुए होम पेज में दिए गए [Upload Image] लिंक का प्रयोग करते हुए अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना।

पद – 6: होम पेज पर दिए गए [Print Application] लिंक पर जाकर अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करना।

पद – 7: अपने द्वारा भरे गए आवेदन–पत्र की प्रतिलिपि मुद्रित करना तथा अपने समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि के भीतर भेजना।

उपरोक्त सात पदों में निहित गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं –

पद – 1: निर्देशिका का अध्ययन व मुद्रण: विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में प्रवेश–परीक्षा प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों सम्बन्धी यह विवरणिका दी गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को डाउनलोड कर भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा इसका मुद्रण कर अपने पास सुरक्षित रखें।

पद–2: पाठ्यक्रम का चयन, पंजीकरण एवं इसका मुद्रण: विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में अभ्यर्थी को प्रवेश–आवेदन हेतु पंजीकरण करना आवश्यक है। इस हेतु पाठ्यक्रम (बी0एड0/एम0एड0) का चयन कर पंजीयन फार्म को भरा जाएगा तथा वैबसाइट में Submit किया जाएगा, जिसके उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाओं सहित एक पंजीयन पत्र निरूपित होगा, जिसमें अन्य सूचनाओं सहित अभ्यर्थी की पंजीयन संख्या (Registration Number) उल्लिखित होगी। अभ्यर्थी द्वारा

इस पंजीयन संख्या का उपयोग ऑनलाइन शुल्क जमा करने, आवेदन–पत्र भरने, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा भविष्य में प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित सभी पत्राचारों में किया जाएगा। इस पंजीकरण–पत्र की मुद्रित प्रति को अभ्यर्थी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा। अभ्यर्थी यह नोट करें कि मात्र पंजीयन करने से वह प्रवेश–परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। इस हेतु उसे अन्य सभी पद पूरे करने होंगे।

पद – 3: आवेदन शुल्क जमा करना: सफल पंजीयन के पश्चात अपनी पंजीयन संख्या का उपयोग करते हुए अभ्यर्थी आवेदन–शुल्क (रु0 620+बैंक शुल्क) जमा करेगा, जिस हेतु उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की I-Collect सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान अथवा इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट/डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

सही पंजीयन संख्या के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें 48 घण्टे (दो दिन) का समय लग सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति के सत्यापन के पश्चात ही अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में परीक्षा–आवेदनपत्र को भर पाएगा।

पद – 4: परीक्षा–आवेदन पत्र को भरना: शुल्क जमा करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति का सत्यापन हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में अपनी पंजीयन संख्या का उपयोग करते हुए अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरेगा तथा पूर्ण रूप से भरने व जाँच करने के उपरान्त वैबसाइट में Register करेगा।

पद – 5: अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना: अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को Register करने के पश्चात होम पेज में दिए गए लिंक [Upload Image] की सहायता से अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करेगा।

पद – 6: फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी होम पेज में दिए गए लिंक की सहायता से अपने पूर्ण आवेदन पत्र का मुद्रण [Print] कर भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा।

पद – 7: अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण–श्रेणी सम्बन्धी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि अपने द्वारा भरे गए उपरोक्त आवेदन–पत्र की प्रति के साथ संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि के भीतर

कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को पंजीकृत डाक से भेजेगा। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र, शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियों सहित, निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होगा, उनके आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

9. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करनाः

8.1ः निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते।

8.2ः प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in से आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के दो दिन के उपरान्त अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। **अभ्यर्थी को प्रवेशपत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।**

10. प्रवेश–परीक्षा हेतु केन्द्रः बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा 2014 के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित 16 केन्द्र बनाए गए हैं –

क्र0	केन्द्र	क्र0	केन्द्र	क्र0	केन्द्र	क्र0	केन्द्र
1	अल्मोड़ा	5	नैनीताल	9	रानीखेत	13	किच्छा
2	बागेश्वर	6	पिथौरागढ़	10	खटीमा	14	बेरीनाग
3	हल्द्वानी	7	रामनगर	11	द्वाराहाट	15	डीडीहाट
4	काशीपुर	8	रूद्रपुर	12	लोहाघाट	16	जसपुर

11. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँः अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रस्तावित तिथियों को नोट करें –

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ	अंतिम तिथि
1.	ऑनलाइन पंजीकरण	07 मार्च, 2015	11 अप्रैल, 2015
2.	शुल्क जमा करना	07 मार्च, 2015	13 अप्रैल, 2015
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना	09 मार्च, 2015	16 अप्रैल, 2015
4.	प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना	18 अप्रैल, 2015	03 मई, 2015
5.	आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	25 अप्रैल, 2015	
6.	परीक्षा की तिथि	03 मई, 2015 (रविवार)	

12. परीक्षा परिणाम की घोषणाः प्रवेश–परीक्षा सम्पादित होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

13. कक्षाओं में प्रवेश / काउन्सिलिंगः

13.1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस आधार पर काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

13.2. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके / उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

13.3. काउन्सिलिंग / प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है –

अ – हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र

ब – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र

स – स्नातक / स्नातकोत्तर / बी0एड0 अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका

द – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)

य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

14. अन्य निर्देशः

14.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

14.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही / सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति जाँच हेतु विश्वविद्यालय को भेजना तथा मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी

भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ठ परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

14.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14.4 किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... आत्मज/आत्मजा श्री .... निवासी... तहसील.. जनपद.......................................उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं।

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधिकारी

दिनांक

उपजिलाधिकारी

प्रमाण–पत्र II (विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 ....

.आत्मज / आत्मजा श्री .... निवासी..तहसील ....

जनपद..उत्तराखण्ड प्रदेश के विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नही हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हों। अभ्यर्थी शिक्षक–प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोट : न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण–पत्र III (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं. 1144 / कार्मिक– 2-2001- 53(1) - 2001 दिनांक 18-7-2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिये प्रमाण–पत्र) (शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 .... पुत्र / पुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला .... उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम) .... की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0 – 2/1995 टी0 सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... जिला .... में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री .... की जांच आख्या .... पर जारी किया गया है।

स्थान	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144 / कार्मिक – 2 - 2001- 53 (1)/2001 दिनांक 18-7-2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र IV (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री/श्रीमती .... आत्मज/आत्मजा श्री .... प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह अपंग सेवानिवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 .... इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक

आफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>प्रमाण–पत्र V (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 ....आत्मज / आत्मजा श्री .... भूतपूर्व सैनिक ने .... के पद पर कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये हैं।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक

आफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुर्नवास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ....आत्मज / आत्मजा श्री .... शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं / थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 .... इनके पुत्र / पुत्री / पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

दिनांक

नोटः–प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VII (विधवा या तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .... आत्मजा श्री .... एक विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री .... की मृत्यु हो गयी / तलाक / परित्याक्ता दिनांक .... को कर दिया गया है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक

उपजिलाधिकारी

नोट : कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

<u>प्रमाण–पत्र VIII (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री...विभाग.....................................पद..पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक................................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

प्रमाण–पत्र IX (मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक, नियमित, वैतनिक शिक्षक का वार्ड या शिक्षणेत्तर कर्मचारी का वार्ड)

नोट :1. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सही एवं विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अभिलेख के आधार पर है। प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का भी उल्लेख करें।

2. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नही होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... आत्मज/आत्मजा श्री .... इस विद्यालय/महाविद्यालय /विश्वविद्यालय में दिनांक..से .... तक.......................................के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं/सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री/श्रीमती / कु0 .... इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति / पत्नी हैं।

हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी के नाम तथा पद का भी उल्लेख करें)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

प्रमाण–पत्र X (वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अनवरत/कार्यरत नियमित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी हेतु।

नोटः 1.त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिये निर्गत करने वाले अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

2 .प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मान्यता प्राप्त (पूर्णकालिक, नियमित पूर्ण वेतनमान पर ,वैतनिक स्वयं शिक्षक) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य का प्रमाण–पत्र उच्च शिक्षा अधिकारी / जि0शि0अ0/अपर जिला शिक्षा अधिकारी/ सहा0 आयुक्त शिक्षा / संयु0 शिक्षा निदेशक / अपर शिक्षा निदेशक/ बेसिक शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा निदेशक / केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे। वर्तमान वर्ष तक एवं आवेदन करने तक का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी का होना आवश्यक है,जिसमें आवेदनकर्ता के साथ सम्बन्ध का भी उल्लेख हो।

3. महाविद्यालय / विश्वविद्यालय तथा पालीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति में स्वयं शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रमाण–पत्र प्राचार्य / प्राचार्या / वि0 वि0 कुलसचिव / सम्बन्धित संकायाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे।

4. वित्त–विहीन–मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत एवं स्वयं सेवक के रूप में अंशकालिक तथा बिना वेतनमान में कार्यरत (मात्र शिक्षण अनुभव पर) होने पर अतिरिक्त अंक देय नहीं होंगे।

5. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र पर नियमानुसार कोई विचार नही किया जायेगा।

6. किसी भी त्रुटिपूर्ण तथा मानको के प्रतिकूल जमा किये गये प्रमाण–पत्र पर अंक देय नही होंगे तथा इसके लिये अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

7. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / ....

आत्मज/आत्मजा श्री .... इस विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में दिनांक .... से .... तक वेतनमान .... में ....के पद पर स्थाई रूप से कार्यरत हैं/सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री/श्रीमती/कु0.......... ....इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद का भी उल्लेख करें)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)